बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

पशुधन द्वारा
जीवन में गुणात्मक सुधार

संक्रामक रोगों अथवा अप्राकृतिक कारणों से पशुओं की मृत्यु पर सहाय्य अनुदान की योजना

- इस योजना का उद्देश्य संक्रामक रोगों अथवा अप्राकृतिक कारणों से पशुओं की मृत्यु पर सहाय्य अनुदान देकर पशुपालकों की आर्थिक क्षति की भरपाई करना है।
- किसी संक्रामक रोग अथवा अप्राकृतिक कारणों से पशुओं की मृत्यु की पुष्टि होने के उपरान्त पशुपालक को मुआवजा/सहाय्य अनुदान दिये जाने हेतु संबंधित प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी/भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रभावित पशुपालकों से एक फार्म (प्रपत्र–1 संलग्न) भरकर लिया जायेगा, जिसे संबंधित प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी/भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी के द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- जाँचोपरांत संबंधित पशुपालक को उनके बैंक खाता में Direct Benefit Transfer (DBT)/RTGS/NEFT के माध्यम से अनुमान्य मुआवजा/सहाय्य अनुदान की राशि का भुगतान किया जायेगा।
- आपदा की स्थिति में भारत सरकार द्वारा निर्धारित सहाय्य अनुदान की दर के आलोक में विभाग द्वारा निम्नांकित तीन वर्ग के आधार पर मुआवजा/सहाय्य अनुदान दिया जायेगाः–

क्रं.	पशु का प्रकार	मुआवजा/सहाय्य अनुदान (Ex-Gratia) की दर
1	दुधारू पशु	गाय/भैंस हेतु प्रति पशु रूपये 30,000/– (प्रति हाउसहोल्ड अधिकतम 3 पशुओं के लिये)
2	भारवाही (Draught) पशु	(क) ऊँट/घोड़ा/बैल हेतु प्रति पशु रूपये 25,000/– (प्रति हाउसहोल्ड अधिकतम 3 पशुओं के लियें) (ख) बछड़ा/गधा/खच्चर/टट्टू हेतु प्रति पशु 16,000/– (प्रति हाउसहोल्ड अधिकतम 6 पशुओं के लिये)
3	मांस उत्पादक पशु	(क) वयस्क भेड़/सूकर/बकरी हेतु प्रति पशु रूपये 3,000/– (ख) अवयस्क भेड़/सूकर/बकरी (9 माह से कम उम्र की) हेतु प्रति पशु रूपये 1,000/– (तीन छोटे पशु = 01 बड़ा पशु) (प्रति हाउसहोल्ड अधिकतम 30 बड़े पशुओं के लिये)

- प्राकृतिक आपदा के अलावे अन्य कारणों (यथा कुत्ता काटने, जंगली जानवरों के काटने, साँप के काटने एवं दुर्घटना) से अधिक संख्या में मृत्यु होने पर मुआवजा/सहाय्य अनुदान (Ex-Gratia) भी देया होगा। इसके अतिरिक्त यथास्थिति असामयिक मृत्यु के अन्य कारणों को भी समय–समय पर विभाग की सहमति से जोड़ा जा सकेगा।
- पशुओं की मृत्यु प्रबंधन समस्या (Managemental Reason) एवं अन्य कारणों से होने की स्थिति में मुआवजा/सहाय्य अनुदान (Ex-Gratia) नहीं दिया जायेगा।

विशेष जानकारी हेतु संबंधित पशु चिकित्सालय/जिला पशुपालन कार्यालय/पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना (दूरभाष सं.: 0612–2226049) से संपर्क स्थापित किया जा सकता है।

पशुपालन निदेशालय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा जनहित में प्रचारित